संख्या-11/2017/88/41-2017-99 यो0/2013

प्रेषक,

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊः दिनांक 13 फरवरी 2017**

विषय- आगरा-ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-419/प्रो-पुअर पर्यटन परि0/2016, दिनांक 20-12-2016 एवं पत्र सं0-470/प्रो-पुअर पर्यटन परि0/2017, दिनांक 23-01-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आगरा-ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास की परियोजना हेतु रू0 4,96,66,280/- (रूपये चार करोड छियान्नवे लाख छाछठ हजार दो सौ अस्सी मात्र) की धनराशि निवर्तन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में आगरा-ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास की परियोजना हेतु रू0 4,96,66,280/- (रूपये चार करोड छियान्नवे लाख छाछठ हजार दो सौ अस्सी मात्र) की धनराशि निम्नलिखित सारिणी के प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों तथा उसके सम्मुख अंकित धनराशि के विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

ए- एडमिनिस्ट्रेटिव एवं रूटीन व्यय		
क्र0	**मद**	**धनराशि रू0 में**
1	**2**	**3**
1.	एस0पी0सी0यू0 स्टाफ रिटेनरशिप शुल्क	45,89,790/-
2.	एस0पी0सी0यू0 आफिस कन्स्ट्रक्शन (के+एम सल्यूशन)	21,41,658/-
3.	रिमेनिंग पेमेन्ट टू आई0सी0एस0सी0 फार डी0पी0आर0 प्रिपरेशन	20,57,580/-
बी-कन्सल्टेन्सी		
1.	पेमेन्ट फार डी0पी0आर0 प्रिपरेशन आफ 11 कुण्डस् (डी0पी0आर0)	58,44,300/-
2.	पेमेन्ट फार डी0पी0आर0 प्रिपरेशन आफ वेस्ट गेट पार्किंग (डी0पी0आर0)	35,47,792/-
3.	बुद्धिस्ट सर्किट सर्वे फीस (लखनऊ स्कूल आफ आर्किटेक्ट)	49,06,211/-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.	डेवलपमेन्ट आफ ट्रनिंग मटेरियल एण्ड ट्रेनिंग इन हास्पिटेलिटी	10,18,526/-
5.	इन्स्टीट्यूशनल स्ट्रेन्थिनिंग एण्ड टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स फार द स्टेट आफ यू0पी0	8,39,500/-
6.	डिजाइन एण्ड सुपरविजन फार रिवरफ्रन्ट डेवलपमेन्ट एण्ड प्रॉविजन आफ वेसिक सर्विस ऐट चीनी का रौजा, एत्मा-उद-दौला एण्ड 11 स्टेप्स गार्डेन्स आगरा	13,88,740/-
7.	कन्सल्टेन्सी सर्विस फार मैपिंग एण्ड एसेसमेन्ट आफ क्रिएटिव इन्डस्ट्रीज इन आगरा, ब्रज रीजन एण्ड बुद्धिस्ट सर्किट	13,16,600/-
8.	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम (एम0आई0एस0)	11,60,664/-
9.	प्रिपरेशन आफ इन्टीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्लान फार द ब्रज रीजन इन उ0प्र0	20,00,000/-
10.	डेवलपमेन्ट आफ नेटवर्क आफ इन्टरप्रिटेटिव एण्ड कल्चरल वेन्यूज इन द ब्रज रीजन (इन्टरप्रिपरेशन फैसिलिटीज, हाट एण्ड सेन्टर फार लिविंग ट्रेडीसन्स)	27,30,000/-
11.	टेक्निकल रिव्यू एण्ड कन्सट्रक्सन सुपरविजन आफ द ताज इस्ट ड्रेन इम्प्रूवमेन्ट प्लान आफ आगरा	7,50,000/-
स्टार्ट आफ सिविल वर्क्स		
1.	टी0एस0यू0 आफिस कान्स्ट्रक्सन आगरा, वाराणसी, कुशीनगर, मथुरा	1,00,00,000/-
2.	टी0एस0यू0 स्टाफ सैलरीज	40,25,000/-
डी-विविध व्यय		
1.	इ0ओ0आई0, टेन्डर्स एण्ड अदर पब्लिशिंग कास्ट	5,00,000/-
2.	एस0पी0सी0यू0 ट्रेवल, डी0ए0 आदि	4,00,000/-
3.	पर्चेज आफ आफिस इक्विपमेन्टस् (कम्प्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्टेनरी आदि)	2,50,000/-
4.	अदर मिसलेनियस व्यय	2,00,000/
	योग	**4,96,66,280/-**

(1) उपर्युक्त प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय विश्व बैंक सहायतित प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट की योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 2784/41-2013-99 यो0/2013, दिनांक 11.10.2013, शासनादेश सं0 75/3054/41-2014-99 यो0/2013, दिनांक 13.12.2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप सं0 3734/41-2015-99 यो0/2013, दिनांक 17.12.2015 में किये गये प्राविधानों/शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त परियोजना हेतु शासनादेश सं0 99/2015/1338/41-2015-99 यो0/2013, दिनांक 10.06.2015 द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 500.00 लाख का शतप्रतिशत उपयोग परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेशों एवं निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार कर लिये जाने तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से शासन को उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कराने के पश्चात ही उपर्युक्त प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय उक्त सारिणी के प्रस्तर-2 में अंकित मदों तथा प्रस्तर-3 में अंकित धनराशि के विवरणानुसार ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा तथा जिन मदों में पृथक से शासन की अनुमति की आवश्यकता होगी उसका विस्तृत विवरण, धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व शासन को उपलब्ध कराते हुए उसकी औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त सारणी में उल्लिखित मदों यथा विविध व्यय आदि जो सुपरिभाषित मद नही हैं में धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि व्यय की जा रही धनराशि परियोजना के निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप ही है तथा उक्त व्यय वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जा रहा है।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित करते हुए राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय।

(6) उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित सारणी में कन्स्ट्रक्सन्स/सिविल वर्क्स/परचेज से सम्बन्धित मदों पर धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व बजट मैनुअल एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं परियोजना के निर्धारित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत परीक्षण करते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेंगी तथा यथावश्यकता शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7) परियोजना तथा निवर्तन पर रखी जा रही उक्त धनराशि के व्यय का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्परीक्षित लेखे भी अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे एवं उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि व्यय किये जाने में सोशल आडिट के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। उक्त धनराशि व्यय किये जाने में प्रदेश में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाया।

3. उक्त प्रस्तर-1 के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-"5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04-आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में विश्व प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या ई-7-13/दस-2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 11/2017/88 (1)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, आर्थिक कार्य मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/वित्त/आवास एवं शहरी नियोजन/नियोजन/संस्कृति/वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियन्त्रक पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4 ।
9- कन्ट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक, नई दिल्ली।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।